राजस्व लोक अदालत कैम्प– चिलानाडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरारा
पीठासन अधिकारी श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 229/2017

प्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र मोगा
2. हनुमानराम पुत्र मोगा
3. सत्ताराम पुत्र मोगा
4. सांवलराम पुत्र मोगा
5. हरकूदेवी बैवा मोगा
6. वंशाराम पुत्र भोमाराम
7. राणा पुत्र खुशाला जातियान कुम्हार ग्राम चिलानाडी

विप्रार्थीगण :–

1. खीमा पुत्र रडमल
2. सुतरा पुत्र रडमल
3. कुम्भाराम पुत्र जेठाराम
4. मदनलाल पुत्र जेठाराम
5. शंकरलाल पुत्र जेठाराम
6. भोमाराम पुत्र जेठाराम
7. गंगादेवी बैवा जेठाराम
8. नैनादेवी बैवा जेठाराम
9. छगनाराम पुत्र रूपाराम
10. पन्नाराम पुत्र रूपाराम
11. ताराराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी चिलानाडी
12. शाखा प्रबन्धक, एस बी.बी. जे शाखा पाटोदी

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत स्वीकृति हेतु</u>

उपस्थित 1 श्री अनवर टावरी अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक :– 12.6.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कालेवा में पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाई ए बी सी डी में बरंग लाल के मूल खेत खसरा न0 2710 के वर्तमान ख0न0 3739/2710 व 3741/2710 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा में से 20 फीट चौडा कटाण आम रास्ता पाटोदी से नवातला रोड से प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 2711 व 2712 कुल रकबा 45 बीघा 04 विस्वा तक आवागमन एवं उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने का निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को नोटिसेज जारी किये गये । तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 24.11.2017 को जारी की गयी।

तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट तलब करने पर उपतहसीलदार पाटोदी ने जरिये पत्र के दिनांक 12.6.2018 के पालना रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया है कि मौके पर प्रार्थी का खेत ग्राम चिलानाडी के ख.न. 3739/2710 एवं ख0न0 3741/2710 रकबा क्रमशः 20.01 व 1.13 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण भंवराराम वगैरहा एवं अपने खातेदारी खेत खसरा न0 2712 तक पहुचंने हेतु रास्ता चाहा गया है। ख0न0 2710 मूल खसरान के दो टुकडे क्रमशः 3739/2710, 3741/2710 रकबा क्रमशः 20.01 बीघा व 1.13 बीघा सडके निकलने से रेकर्ड अनुसार दो भागो में विभक्त हुआ है। जबकि मौके पर सडक कटान रास्ते होकर निकली है जिससे मौके पर मूल ख0स0 2710 दो टुकडो में नही करता है। लेकिन मौका एवं लट्‌ठा नक्शा व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता के कारण राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त दोनो खसरों में से रास्ता का रकबा कम किया जाना है। अतः माफिक रेकर्ड अनुसार ख0न0 3741/2710 मे से 0.01 विस्वा भूमि एवं 3739/2710 रकबा 20.01 बीघा में से 0.14 विस्वा कुल 0.15 विस्वा भूमि रास्ते हेतु चाही गई है। जो कि ख0न0 2710 के खातेदारन को डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि जमा करवाई जाकर नियमानुसार रास्ता निकटतम दूरी का दिये जाने का प्रस्ताव संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ व ब है । ख0न0 3741/2710 एवं 3739/2710 के खातेदार ने असहमति जाहिर की है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहे गये कम दूरी के रास्ते को मौके पर ढाणियां व अन्य टांके बाडे इत्यादि छोडकर रास्ता प्रस्तावित है।

दोनों पक्षों के वकील उपस्थित । हमने दोनों पक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । उप तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट अनुसार खसरा न0 374/2710 मे से 0.021 हिस्सा व ख0न0 3739/2710 मे से 0.14 विस्वा कुल रकबा 0.15 विस्वा में नया रास्ता घोषित करने के आदेश दिये जाते है उक्त रास्ता उप तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' व 'ब' के अनुसार रहेगा। प्रस्तावित भूमि सडक पर होने से डी.एल.सी दर 14175 बनती है। जिसकी दूगनी राशि व 28350 बनती है । उक्त राशि का भूगतान ख0न0 3737/2710 व 3741/2710 के खातेदारान को हिस्से अनुसार भुगतान कर रसीद पेश करे सम्बन्धित द्वारा भुगतान प्राप्त करने से इन्कार करने पर तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करावे। तहसीदार पचपदरा राशि जमा होने पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व नक्शा मे तरमीम करे।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चिलानाडी मे खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner